<u>न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट।</u>

<u>वारण्ट दाण्डिक वाद संख्या- 177 / IX / 2017</u>

सरकार बनाम विनोदु कुमार उर्फ राजू यादव

मु.अ.सं.- 406 / 2017
धारा-25 आयुध अधिनियम व 188 भा.द.सं.।
थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट।

<u>आरोप</u>

मैं सुमित कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ, चित्रकूट आप अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ राजू यादव को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-14.01.2017 को समय 02:30 बजे स्थान वहद ग्राम छिवलहा, मऊ, थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट में थाना-मऊ की पुलिस द्वारा आपके कब्जे से 20 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपर्युक्त तिथि, समय व स्थान में आपके द्वारा उपर्युक्त कारित कृत्य द्वारा धारा-144, चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया है एवं आपने लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्राख्यापित आदेश की अवज्ञा की जिसके द्वारा आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-14.05.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक-14.05.2019

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊ, चित्रकूट।